

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं०- 55/2018-12

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत
जॉच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि

आदेश फलक

अभ्युक्ति

9.11.22

Covid-19 के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कारवाई पुनः शुरू करें।

अभिलेख दिनांक 8.12.22 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

8.12.22

अभिलेख उपस्थापित।

झारखण्ड सरकार के झापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सह-पठित -श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा० दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म) की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्रारंभ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:

गौजा थाना नं० खाता सं० प्लॉट सं०
रकबा एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म
अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौज
के पंजी-11 के जिल्द सं० के पृष्ठ सं० पर जमाबंदी रैयत
के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित

मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24.12.22 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

24.12.22

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में ~~झारखण्ड 2249 अंश~~ ~~पञ्चरी 612~~ - 183940, लगान रसीद वर्ष 2016-17 के गैरमजरूआ खेतों को दस्तावेजों — समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 17.1.2023 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

17.1.23

अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा ~~सामा~~ — मौजा नं० 224 खाता सं०-800 प्लॉट सं०-1405, रकबा 0.3045 किस्म — खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि ~~झारखण्ड 2249 अंश~~ ~~पञ्चरी 612~~ — प्राप्त है जिसका क्रम/सं० 183940 — है। उक्त भूमि का DCLR/SDO के द्वारा लगान निर्धारण नहीं हुआ है। तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अबैध रूप से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगान रसीद वर्ष 2016-17 तक निर्गत है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 151/3 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजे।
लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पल्लार, धरपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
रोहन सिंह	S. 12/1	274	80	1905	0.30	गोमठक	
पिता - बन्धु सिंह						मायिक	

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- परती खेत

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- परिवर्तन के लिए प्राधिकार
माल्य में जमाबंदी का अपाह
नहीं है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले
कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों
के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार
तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में
संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :- परिवर्तन के लिए प्राधिकार
माल्य में जमाबंदी
का अपाह दर्ज
नहीं है।

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी
के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :- N/A

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(क) अनिबंधित, सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष
(वाद संख्या एवं पारित अवैधानुसार) :-

भाग पंजी-5 के मुद्दे
अपह मुपरात दर्ज नहीं
है।

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा
में अंकित मूल्य (100/-रुपये से कम या इससे अधिक) :-

अविष जाम्बवती की पौत्र किसा राजस्य अग्निलेश्य से की गई है :-

(ग) भूतपूर्व जमींदार द्वारा वापिस रिटर्न से

(ख) अंचल/अनुमंडल में स्थापित बंदोबस्ती चण्डी रो

(ग) साहित्य-खण्ड/भू-उपसाधारण/नामाधारण पंजी से :-

10. (क) अवैध जमाबंदी तथा दिनांक-01.01.1948 को पूर्व से कायम है :- 14

(ख) क्या विभाक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार, द्वारा निर्गत जमीनदारी एसीब साल-दर-साल निर्गत है? :-

11. क्या दिनांक-01.01.1948 के बाद से 1955-58 तक जमीनदारी रसीद :-
तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :-

12 वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड - बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

गौजा - डा/बि. के खता - 80 प्लॉट 1405 खता 0.30 हेक्टे का मांगपारी पंजी - 1
के वेत क्र. 151/3 पर बीएन सिंह पिता. वल्लू सिंह के नाम से दर्ज है. मांग
नामम होई का गौरी आधार स्पष्ट नहीं है। मांगपारी रकम को उम्मीद भूति
प्रदान द्वारा मांग/बि. डा/बि. गौजा पञ्चायत के द्वारा प्रकृ - 5 से प्राप्त है।
मिशन क्र. 1839/40 है उक्त ग्राम का DECLARATION के द्वारा खान
निर्धारण नहीं हुआ। मर गौरमजकआ खता की ग्राम है। लेकिन कालिदास
जीण जीण अवस्था में होई के नाबल प्रतिवेदित प्लॉट का किस्म
स्पष्ट नहीं हो पा रहा है उक्त प्लॉट पर मांगपारी रकम का कबूल करना
अस्पष्ट है। एता. मिशन में मर मांग खान प्रतिवेदित होता है।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जांचोपरात मतेव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

वायुस्थ उप रिप्टाक कक्षा प्रतिवेधित जॉय प्रतिवेधित
का जॉय रिफा, जहाँ पाया गया। अतः उपरोक्त जगहों की
जो खूद करने की अनुसंधान रिफा जा सकते हैं।

अंचलिकी
छत्तरपु

अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता,
गरपुर। उत्तरपुर।

अनुमण्डल पदा.,
छत्तरपुर ।

अपर समाहर्ता,
पलामू।

उपायुक्त
पलामू

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- रोहनी सिंह पिता बन्धु सिंह
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 3 पृष्ठ सं: 151 पर कायम है

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खसरा सं.	रकबा
<u>सावली</u>	<u>274</u>	<u>80</u>	<u>1405</u>	<u>0.30 30</u>

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- परिवर्तन के लिए प्राधिकार को जमाबंदी का आधार प्रतीत है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- श्रीरामजी महिच
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- कोर्ट के आदेश से।
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :-

पंजी-5 में सुधार के लिए है।

8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदाबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)
:- मासिक पंजी-5 से जाँच किया गया

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>1</u>	<u>256678</u>	<u>-</u>	<u>2016-17</u>

अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

आव अमिलेख सं० 55 / 20¹⁶⁻¹⁷ (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम जाम रिंठ

पिता - लौहमी रिंठ

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा डोली थाना नं० 274 खाता सं० 80 खेसरा नं० 1705/5 रकबा 330 से संबंधित आपके नाम से ह० नं० 15 के पंजी-II भाग 3 के पृष्ठ 151 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

7292865350

इसे सख्त ताकिद जानें।



अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।

विष्णुनाथ सिंह
24-12-22